PHONE NO.-2364191
FAX NO.-(0657) 2364175

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(भारत सरकार/*Govt. of India,* श्रम व रोजगार मंत्रालय/*Ministry of Labour & Employment*)
क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE,
पुरूलिया हाईवे, पो०-आजादनगर / PURULIA HIGHWAY, P.O.- AZADNAGAR,
मानगो, जमशेदपुर-832110/MANGO, JAMSHEDPUR (झारखंड/JHARKHAND)
[ro.jamshedpur@epfindia.gov.in]

सं0: क्षेका/जमशे/सी.ए.पैनलीकरण/ 98 दिनांक : 01/08/2018

(1). कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है । इस संगठन का मुख्य उद्येश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 एवं उसके अंतर्गत रचित योजनाओं और उपबंधों के तहत अंशदाताओं को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है । इस संगठन की अधिक जानकारी www.epfindia.gov.in वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है ।

(2). क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर प्रारंभिक 3 वर्षों की अवधि अर्थात 01/04/2018 से 31/03/2021 तक के लिए चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स का पैनल बनाना चाहता है जो कि टैक्स के विभिन्न मामलों एवं संगत गतिविधियों, लेखाओं को अंतिम रूप देने, विशेष लेखा परीक्षा, लेखाओं में परिलक्षित विशिष्ट प्रविष्टियों का समायोजन अथवा कर (टैक्स) से संबंधित अन्य मामले या लेखाओं या बुक कीपिंग, छूट प्राप्त संस्थाओं की पुन: लेखा परीक्षा इत्यादि के कार्य संभालेंगे ।

(3). <u>पात्रता :-</u>

मुख्य कार्यालय के लिए पात्रता :-

(i). आवेदक फर्म 10 वर्ष से कार्यरत होनी चाहिए ।

(ii). आवेदक फर्म में कम से कम 5 पूर्णकालिक भागीदार एवं कम से कम एक पूर्णकालिक एफ.सी.ए. (FCA) होना चाहिए ।

(iii). आवेदक फर्म सी एण्ड एजी (C & AG) के पैनल में होनी चाहिए ।

(iv). भागीदार आइ.सी.ए.आइ.(ICAI) के सदस्य होने चाहिए और उनके पास आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

(v). आवेदक को सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित लेखा परीक्षा/कर संबंधी मामलों की जानकारी होनी चाहिए ।

(vi). फर्म का पिछले तीन वर्षों का वार्षिक औसत कारोबार कम से कम 75 लाख का होना चाहिए ।

(vii). आवेदक फर्म और उसके भागीदार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान चार्टर्ड एकान्टेन्ट एक्ट 1949 (संशोधित) के तहत किसी प्रकार का व्यवसायिक कदाचार नहीं किया हो या

आइ.सी.ए.आइ. या किसी अन्य सांविधिक निकाय द्वारा जारी नियमों के उल्लंघन हेतु दंडित नहीं किया गया हो ।

(viii). आवेदक फर्म या उसके भागीदार किसी भी प्रकार के कर नियमों के उल्लंघन हेतु किसी भी कर अधिकारी द्वारा पूछताछ या जांच आदि का सामना नहीं करता हो ।

(4). चयन की प्रक्रिया :-

(ए). पात्र फर्म का चयन अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जांच के उपरांत किया जायेगा ।

एक फर्म को पात्र घोषित करने के उपरांत शीर्ष 10 फर्म को विभिन्न मानकों के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित किया जाएगा । अंक प्रणाली निम्नानुसार होगी :-

अंक प्रणाली :-

पात्रता	अंक
(i). फर्म का अनुभव	10 वर्ष से आगे – प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए 0.5 अंक – अधिकतम 15 अंक,
(ii). पूर्णकालिक एफ.सी.ए. (FCA) भागीदार	प्रथम भागीदार के लिए 5 अंक और दूसरे भागीदार से 2.5 अंक,
(iii). पूर्णकालिक ए.सी.ए.(ACA) भागीदार	प्रथम 3 भागीदारों के लिए प्रत्येक को 3 अंक तथा 6ठवें के उपरांत प्रत्येक को 1.5 अंक,
(iv). पूर्णकालिक सी.ए. (CA) कर्मचारी	प्रत्येक सी.ए. के लिए 1 अंक अधिकतम 20 अंक,
(v). कारोबार	75 लाख के उपर प्रत्येक लाख के लिए 1 अंक,

(बी). कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आवश्यकतानुसार नयी फर्म् को पैनल में जोड़ सकता है ।

(5). कार्य की प्रकृति :-

कर्मचारी भविष्य निधि आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि है जिसकी आय पर कोई कर नहीं लगता है । तथापित, विशेष परिस्थितियों में आयकर अधिनियम तथा अन्य कर नियमों के प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर लागू होते हैं । इसके अलावा लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने, विशेष लेखा परीक्षण, प्रणाली परीक्षण, कार्य निष्पादन, लेखा परीक्षण, बुक्स ऑफ एकांउन्ट्स में परिलक्षित विशिष्ट प्रविष्टियों का समायोजन अथवा कर से संबंधित अन्य मामलों या लेखा या बुक कीपिंग इत्यादि हेतु व्यवसायिक सेवाएं अपेक्षित है । नामित फर्म को संदर्भित शर्तों के अनुसार मामलों को निपटाना होगा ।

(6). कार्य आवंटन :-

कार्य आवंटन हेतु केन्द्र सरकार सामान्य वित्तीय नियम को ध्यान में रखते हुए पैनलीकृत फर्मों से सीमित निविदा मंगाई जाएगी और किसी एक फर्म विशेष को कार्य आवंटित किया जायेगा ।

(7). आवेदन प्रपत्र :-

इच्छुक पार्टियॉ संलग्न अनुलग्नक ए के साथ नीचे दिए हुए प्रपत्र में बचनपत्र सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकती है :-

मैं ....प्रबंधकीय भागीदार, मेसर्स .... चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स एतद द्वारा यह सत्यापित/घोषित करता हूँ और वचन देता हूँ कि :

ए). कि उपर दिए गए विवरण पूर्ण एवं सही तथा आवेदन में दी गई सूचना अथवा बयान बाद में यदि गलत पाया जाता है या कोई वास्तविक सूचना छुपाई जाती है तो फर्म को पेनलीकरण/कार्य आवंटन हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा और चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एक्ट 1949 तथा उसके अंतर्गत रचित नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार होगी ।

बी). कि आवेदक फर्म और उसके भागीदार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एक्ट 1949 (संशोधित) के तहत किसी प्रकार का व्यवसायिक कदाचार नहीं किया है या आइ.सी.ए.आइ. या किसी अन्य सांविधिक निकाय द्वारा जारी नियमों के उल्लंघन हेतु दंडित नहीं किया गया है ।

सी). कि आवेदक फर्म या उसके भागीदार किसी भी प्रकार के कर नियमों के उल्लंघन हेतु किसी भी कर अधिकारी द्वारा पूछताछ या जांच आदि का सामना नहीं करता है ।

डी). कि मैं और अन्य भागीदार पूर्णकालिक चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं ।

फर्म के प्रबंधकीय भागीदारों का मुहर सहित नाम व हस्ताक्षर

8. लिफाफे पर बड़े अक्षरों में "गोपनीय - चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स के पैनलीकरण अभिरूचि की अभिव्यक्ति" लिखा होना चाहिए, जिसे सीलबंद लिफाफे में निम्न पते पर प्रस्तुत किया जाये :-

   श्री संदीप सीजर टोप्पो
   सहायक भविष्य निधि आयुक्त (छूट प्राप्त अनुपालन)
   कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर,
   झारखण्ड, पिन कोड – 832110.

9. अभिरूचि की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **10.08.2018** शाम 5 बजे तक है ।

10. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर को किसी या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार है ।

(संदीप सीजर टोप्पो)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त
क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर

अनुलग्नक "ए"

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म्स के पैनलीकरण हेतु आवेदन

क्र.सं.	विवरण	अभ्युक्ति
01.	चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म का नाम	
02.	फर्म की पंजीकरण सं. (आइ.सी.ए.आइ.)	
03.	फर्म के गठन की तिथि एवं आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी फर्म का गठन प्रमाणपत्र	प्रति संलग्न
04.	सी. एंड ए.जी. के पैनलीकरण का प्रमाण	
05.	स्थिति सहित भागीदारों के नाम (एफ.सी.ए. और ए.सी.ए.)	
06.	भागीदारों की सदस्यता संख्या एवं प्रैक्टिस प्रमाणपत्र	
07.	दूरभाष/मोबाइल/फैक्स एवं ईमेल आईडी सहित मुख्य कार्यालय एवं शाखा का सम्पूर्ण पता	
08.	फर्म का आयकर पैन	
09.	फर्म के साथ पूर्णकालिक व्यवसायियों की संख्या:- ए). बी). सी).	
10.	क्या फर्म/भागीदार के विरूध्द अदालती/महयस्यता अथवा कोई अन्य कानूनी मामला/कार्यवाही लंबित है	
11.	पिछले 3 वर्षों से फर्म का औसत वार्षिक कारोबार	
12.	सदस्यता हेतु भुगतान का प्रमाण एवं वर्ष 2016-17 के लिए आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी प्रैक्टिस प्रमाणपत्र	
13.	निम्नलिखित क्षेत्रों में आयकर/लेखापरीक्षा संबंधी कार्यानुभव को दर्शायें:- ए). सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम : बी). सरकारी(केन्द्रीय/राज्य): सी). निजी:	

PHONE NO.-2364191
FAX NO.-(0657) 2364175

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(भारत सरकार/*Govt. of India,* श्रम व रोजगार मंत्रालय/*Ministry of Labour & Employment*)

क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE,

पुरुलिया हाईवे, पो०-आजादनगर / PURULIA HIGHWAY, P.O.- AZADNAGAR,
मानगो, जमशेदपुर-832110/MANGO, JAMSHEDPUR (झारखंड/JHARKHAND)
[ro.jamshedpur@epfindia.gov.in]

No. RO/JSR/Ex-Compl./EMPANELMENT OF CA/98 **Date: 01/08/2018**

Express of interest (EOI) for
Empanelment of Chartered Accounts Firms
for Regional Office Jamshedpur(Jharkhand)
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION(EPFO)

1. The Employees' Provident Fund Organisation, India(EPFO) is an autonomous body under the aegis of the Minstryf of Labour and Employment, Government of India (MoLE). The main objective of the Organisation is to provide old age social security to the subscribers as per the provisions of EPF & MP Act, 1952 and the three Schemes framed there under. For further information about EPFO, one may visit the website www.epfindia.gov.in

2. Regional Office, Jamshedpur, EPFO proposes to form a panel of Chartered Aecountant Firms (10 CA firms) for initial period of three years from 01.04.2018 to 31.03.2021 for handling various matters and allied activities, finalization of books of accounts, special audit, reconciliation of specific entries appearing in books of aceounts or any other matter relating to tax matter or aecounts or book keeping Re-audit of Exempted establishments etc. as and when required.

3. Eligibility:

Eligibility criteria for Head Office:

(i) Applicant firms should be in existence for at least 10 years.
(ii) Applicant firms should have at least 5 full time partners with at least 1 full time FCA.
(iii) The Applicant firm should be in the panel of C & A G.
(iv) The partners must be member of ICAI and should have valid full time certificate of practice issued by ICAI.
(v) Applicant firm must have experience of auditing accounts/handling tax matters with Govt. Organizations/PSE's.
(vi) Average Annual Turnover of the firm of the last three years should be at least of Rs.75 Lakhs.
(vii) Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountants, Aet, 1949(as amended) during past five years of penalized under any of the tax laws by ICAI or any other statutory body.
(viii) Applicant firms or its partners should not be facing any investigation or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.

4. **Selection procedure:**

a) All the applications received upto the last date shall be scrutinized by a Committee appointed by the Competent Authority to decide the eligible firms.

Once a firm is declared as eligible then top 10 firms will be selected on the basis of points scored on different criteria. Point system will be as follows:

Point System

Eligibility	Point
(i) Experience of Firm	0.5 point for every calendar year from 10 years onwards – **Maximum 15 points**
(ii)Full Time FCA Partner	5 points for first partner and 2.5 points from 2nd partner onwards
(iii)Full Time ACA partner	3 points each for first 5 partners and 1.5 points each for 6th onwards
(iv)Full Time CA employees	1 point for every CA-**Maximum 20 points**
(v)Turnover	**1 point for each lakh above 75 lakh**

(b) EPFO, in case of necessity can add new firms in the panel.

5. **Nature of work:**

Employees Provident Fund is a recognized Provident Fund under the provisions of Income Tax Act 1961, therefore its income are non-taxable. However under certain circumstances various provisions of Income Tax Act and other tax laws become applicable to EPFO. Apart from this professional services are required also for finalization of books of accounts, special audit, system audit, performance audit, reconciliation of specific entries appearing in books of accounts or any other matter relating to tax matter or accounts or book keeping etc. The nominated Firm would be required to handle the case assigned as per the terms of reference.

6. **Allotment of work:**

To allot any work, a limited tender will be invited from the empanelled firms and following the General Financial Rules of the Central Government, the work will be allotted to a particular firm

7. **Application form:**

Interested parties may apply in the application format enclosed as **Annexure 'A'** alongwith the undertaking in the format as below:

I..., the Managing Partners of M/s...Chartered Accountants, do hereby verify, declare and undertake :

a) That the particulars given above are complete and correct and that if any of the statements made or the information so furnished in the Application Form is later found not correct or false or there has been suppression of material information, the Firm would stand disqualified from empanelment/allotment of work and might be liable for disciplinary action under the Chartered Accounts Act 1949 and the regulations framed there under.

Annexure 'A'

Application for empanelment of Chartered Accountant Firms for Employees Provident Fund Organisation:

S.NO.	PARTICULARS	REMARKS
01	Name of the Chartered Accountants Firm	
02	Registration No. (ICAI) of the Firm	
03	Date of Constitution of the Firm and Constitution Certificate of the Firm issued by the ICAI	Copy to be enclosed
04	Proof of empanelment of C&AG	
05	Name of the Partners with status(FCA or ACA)	
06	Membership No of the Partners & Certificate of Practice	Copy to be enclosed
07	Complete Address of the Head Office and the Branch with Telephone/Mobile/Fax with Email address	
08	Income Tax PAN of the Firm	Copy to be enclosed
09	No of full time professionals with the firm: a. Full time FCA Partners b. Full time ACA Partners c. Full time CA employees	
10	Whether there are any Court/Arbitration or any other Legal case/Proceedings pending against the Firm/Partner	
11	Average Annual turnover of the Firm for last 3 years	
12	Proof of payment of Membership fee and certificate of practice from ICAI for the year 2016-17	Copy to be enclosed
13	Indicate the Tax/Audit work experience in the following Sectors a. PSU b. Government(Central/State) c. Private	

b) Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountants Act 1949 (as amended) during past five years or penalized under any of the tax laws by ICAI or any other statutory body.

c) Applicant firm or its partners should not be facing any investigation or enquiry by an tax authority for violation of any of the tax laws.

d) That I and other Partners are in full time practice of Chartered Accountants.

Name & Signature of the Managing Partners of the Firm with seal.

8. EOI Should be superscripted as "Confidential- EOI for empanelment of Chartered Accountant Firms"

Shri. SANDEEP C TOPPO.
ASSITANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER(EX. COMPLIANCE)
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
REGIONAL OFFICE-JAMSHEDPUR
PURULIA HIGHWAY,PO-AZADNAGAR
MANGO,JHARKHAND
PIN-832110

9. Last date of submission of EOI is 10.08.2018 by 5 P M.

10. EPFO, RO JAMSHEDPUR reserves the right to refuse/reject any or all offers without assigning any reasons thereof.

(S C TOPPO)
Assistant Provident Fund Commissioner
R O JAMSHEDPUR